प्रेस नोट
दिनांक 10.07.2026, थाना -इटियाथोक
जनपद- गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवच्या के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजेश पाण्डेय पुत्र महावीर प्रसाद पाण्डेय निवासी भवनियापुर पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवनीश त्रिपाठी पुत्र राज प्रकाश त्रिपाठी निवासी सिसवा झिलाही थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 09.07.2026 को यू0पी0 112 पर सूचना दिया कि थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत उसकी बहन को उसका पति बृजेश पाण्डेय मार पीट रहा है, हाथ में कट्टा लिया है तथा उसकी बहन बचने के लिए गन्ने के खेत में छिप गयी है उक्त सूचना पर पीआरबी नम्बर 5642 पर नियुक्त हे0का0 रोशन प्रसाद व चालक निराले पाण्डेय द्वारा मौके पर पहुच कर आरोपी बृजेश पाण्डेय पुत्र महावीर प्रसाद पाण्डेय निवासी भवनियापुर पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजेश पाण्डेय पुत्र महावीर प्रसाद पाण्डेय निवासी भवनियापुर पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-241/2026, धारा 115(2), 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. हे0का0 रोशन प्रसाद
02. हो0गा0 चालक निराले पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.07.2024, मोतीगंज
जनपद गोण्डा।

थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत घर में घुसकर चोरी करने के 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे चोरी का 01 जोड़ी पायल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस टीम द्वारा 01. मु0अ0स0- 99/26, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0, 02. मु0अ0स0- 143/26, धारा 334(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना मोतीगंज से सम्बन्धित चोरी की घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त- कमलेश वर्मा पुत्र स्व0 हरीराम वर्मा निवासी ग्राम निसारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को छजवा पुलिया थाना मोतीगंज से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 अदद अगूठी (सफेद धातु), 01 अदद अगूठी (पीली धातु), 02 जोड़ी बिछुआ (सफेद धातु), 01 अदद नाक का कील (पीली धातु), 01 अदद मोबाइल फोन मोटोरोला, रु0 10,180/- नगद बरामद कर लिया गया है।
छजवा पुलिया के पास

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी प्रिन्स पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी खतहवा मौजा बनकटी सूर्यबली सिंह बनकटी थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज पर सूचना दिये कि दिनांक 11/12.05.2026 की रात अज्ञात चोरो द्वारा घर के पीछे से अन्दर घुसकर घर में रखा बक्सा का ताला तोड़ कर जेवरात व नगदी चुरा ले गये है वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।
आज दिनांक10.07.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा गस्त व देखभाल क्षेत्र के दौरान छजवा पुलिय के पास से कमलेश वर्मा पुत्र स्व0 हरीराम वर्मा निवासी ग्राम निसारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 अदद अगूठी (सफेद धातु), 01 अदद अगूठी (पीली धातु), 02 जोड़ी बिछुआ (सफेद धातु), 01 अदद नाक का कील (पीली धातु), 01 अदद मोबाइल फोन मोटोरोला, रु0 10,180/- नगद बरामद कर लिया गया है।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने अन्य साथी के साथ मिलकर रात्रि के समय घरों में नकब लगाकर अथवा ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। चोरी किए गए सामान को आपस में बांट लेते थे तथा कुछ सामान स्थानीय स्तर पर बेचकर उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों में करते थे। दिनांक 11/12.05.2026 की रात्रि में ग्राम खतहवा बनकटी में प्रिन्स शुक्ला पुत्र राजेन्द्र के घर चोरी की थी। दिनांक 27/28.06.2026 की रात्रि में बलछहवा गढी में घर के अदर घुसकर जेवरात व नगदी चोरी किया था। बरामद सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं अन्य सामान उक्त चोरी की घटनाओं से संबंधित होना प्रकाश में आया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कमलेश वर्मा पुत्र स्व0 हरीराम वर्मा निवासी ग्राम निसारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग-</u>

01. मु0अ0स0- 99/26, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 143/26, धारा 334(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. 04 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
02. 02 अदद अगूठी (सफेद धातु)
03. 01 अदद अगूठी (पीली धातु)
04. 02 जोड़ी बिछुआ (सफेद धातु)
05. 01 अदद नाक का कील (पीली धातु)
06. 01 अदद मोबाइल फोन मोटोरोला ।
07. रु0 10,180/- नगद बरामद ।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 राकेश कुमार गुप्ता
02. उ0नि0 अखिलश कुमार यादव
03. हे0का0 दयानन्द यादव
04. रि0का0 दीपक

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 10.07.2026, थाना धानेपुर
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री आभिषेक दावच्या के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2026 धारा 109(1), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों-01. ओमप्रकाश मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा पुत्र शत्रुहन निवासी सोमरही चौराहा थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा, 02. राहुल ओझा पुत्र अरून कुमार ओझा निवासी बैरागीजोत नरसिंह डिह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को रेहरा तिराहा बस स्टैण्ड बाबागंज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी वृजमोहन पुत्र रामलोचन ग्राम नैपुरिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.07.2026 को उनका भाई अमित कुमार व सुनील पासवालन पुत्र मायाराम किसी काम से उतरौला मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि पुरानी रंजीश को लेकर विपक्षीगण एक राय होकर उनके भाई के मोटरसाइकिल रोकर मारने पीटने लगे तथा कट्टे से फायर कर उनके भाई को घायल कर दिये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर पर मु0अ0सं0 254/2026 धारा 109(1), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम अजय ओझा आदि 06 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आज दिनांक 10.07.2026 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्त- 01. ओमप्रकाश मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा पुत्र शत्रुहन निवासी सोमरही चौराहा थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा, 02. राहुल ओझा पुत्र अरून कुमार ओझा निवासी बैरागीजोत नरसिंह डिह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को रेहरा तिराहा बस स्टैण्ड बाबागंज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. ओमप्रकाश मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा पुत्र शत्रुहन निवासी सोमरही चौराहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. राहुल ओझा पुत्र अरून कुमार ओझा निवासी बैरागीजोत नरसिंह डिह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 254/2026 धारा 109(1), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मृत्युजंय तिवारी
02. उ0नि0 रामविलास यादव
03. हे0का0 मनीष दूबे

03. हे0का शिवम मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.07.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व रूपये 41,000 - 41,000 के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.06.2021 को थाना कटराबाजार क्षेत्रांतर्गत निवासी वादिनी द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा लिया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 376, 376डी, 372, 373, 323, 342 भादवि 5(g)/6, 5(i)/6 पॉक्सो अधिनियम की बढोत्तरी करते हुए दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तों 01. ननके पुत्र लोध, 02. रमेश पुत्र दुखीराम, 03. रामतेज पुत्र इंदरलोध को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना कटराबाजार में पंजीकृत नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 10.07.2026 को अभियोजक श्री सुनील मिश्रा, थाना कटराबाजार के पैरोकार का0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 वन्दना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त 01. ननके पुत्र लोध, 02. रमेश पुत्र दुखीराम, 03. रामतेज पुत्र इंदरलोध को दोषसिद्ध करते हुए अजीवन कारावास व रु0 41,000-41,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. ननके पुत्र इंदर लोध, निवासी सुर्यवंशमपुरवा नरायनपुर माझा थाना कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. रमेश पुत्र दुखीराम निवासी अल्लीपुर गोकुला थाना कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा।
03. रामतेज पुत्र इंदरलोध, निवासी सुर्यवंशमपुरवा नरायनपुर मांझा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 198/2021, धारा 363, 366, 376, 376डी, 372, 373, 323, 342 भादवि 5(g)/6, 5(i)/6 पॉक्सो अधिनियम थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.07.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैरइरादतन हत्याभियुक्तों को हुई 05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को रूपये 13,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 22.05.2022 को वादी कल्लू राम यादव पुत्र स्व0 रामअचल यादव थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा उनके साझे की दिवाल को गिरा रहे थे मना करने पर विपक्षीगण मारने पीटने लगे उनकी पत्नी बचाने आयी तो उन्हे धक्का दे दिये जिससे वह गिर गयी और गम्भीर चोटे आयी थी दवा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.06.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना छपिया पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोलानाथ व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नीति यादव के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दानिश हसनैन द्वारा अभियुक्तों 01. जयराम यादव, 02. राकेश यादव, 03. राजू यादव व 04. रमेश यादव को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 13,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. जयराम यादव पुत्र स्व0 सुकई यादव, निवासी अहिरनडीह दौलतपुर माफी थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. राकेश यादव पुत्र जयराम यादव निवासी अहिरनडीह दौलतपुर माफी, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।
03. राजू यादव पुत्र जयराम यादव निवासी अहिरनडीह दौलतपुर माफी, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।
04. रमेश यादव पुत्र जयराम यादव निवासी अहिरनडीह दौलतपुर माफी, थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-145/2022, धारा 304/34, 323, 504, 506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।